लखनऊ, उ0प्र0—226007
Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या : R-1171-76/सम्बद्धता/2019

दिनांक : 01/08/19

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय—आदेश

सूच्य है कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 281/सत्तर—7—2019—बी0एड0(09)/2014टी0सी0, दिनांक 12.07.2019 विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों (अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थानों को छोड़कर) में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों —बी0एल0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0 एवं एम0पी0एड0 पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.03.2019 के संलग्न प्रारूप—। एवं प्रारूप—।। पर तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित कर नियमानुसार प्रवेश सुनिश्चित किये जाने की अनुमति मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रदान कर दी गई है तथा इस हेतु संदर्भित पाठ्यक्रमों में पूर्व निर्धारित सीटों के सापेक्ष 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाये जाने की अनुमति भी मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रदान की गई है जिन पर मात्र इसी श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा।

(एस0के0 शुक्ल) 1.8.201
कुल सचिव

संख्या : R-1171-76 दिनांक : 01/08/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय।
4. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने व विधि सहयुक्त महाविद्यालयों को ई—मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. प्राचार्य, समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव।
7. गार्ड फाईल।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव (सम्ब.)
01/08/19

Scanned by CamScanner

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सन्दर्भ संख्या : R/1183 / पी.ए. / 20

दिनांक : 01/08/19

कार्यालय–ज्ञाप

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से प्राप्त अद्यतन निर्देश जो कि पत्र संख्या : 621 (LE:Circular No. 1/2019), दिनांक 23.07.2019 से प्राप्त है (प्रति संलग्न) के अनुसार सहयुक्त महाविद्यालयों में विधि पाठ्यकमों की सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत सीट नहीं बढ़ायी जा सकती हैं। अतः इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्या : आर/1182, दिनांक 01.08.2019 के सापेक्ष सीटें बढ़ाने की कोई कार्यवाही न की जाये, इसे एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। यदि उक्त पत्र के सापेक्ष विधि पाठ्यकमों में सीटें बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं होंगी।

2. आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए प्रवेश व्यवस्था विषयक आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : R/1183 दिनांक : 01/08/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संकाय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विधि।
3. प्रवेश समन्वयक, स्नातक/परास्नातक।
4. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को प्रेषित करने व विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्राचार्य, समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

E-mail : info@barcouncilofindia.org
Website : www.barcouncilofindia.org

Tel. :(91) 011-4922 5000
Fax :(91) 011-4922 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)
21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002

BCI:D: 621 **(LE:Circular No. | /2019)** **23.07.2019**

To,

1.	**The Registrar of all the Universities imparting Legal Education**
2.	**The Principals/The Deans of all the Centre of Legal Education/Law Institutions**

Sub. : Bar Council of India's decision with regard to 10% reservation for EWS General Category students as per the notification dated 18th January, 2019 by the MHRD, regarding which Bar Council of India has decided that it can only be implemented within the sanctioned strength and not over and above the sanctioned strength of students as sanctioned by the Bar Council of India.

Sir/Ma'am,

The Legal Education Committee of the Bar Council of India considered the question of reservation of 10% quota in view of Government of India, Ministry of HRD, Higher Education letter dated 18.01.2019 along with Office Memorandum dated 17.01.2019 for granting 10% quota to Economically Weaker Sections.

As per the said communication, the reservation is provided to such persons only for admission in Central Education Institution of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 for the Academic Year 2019-2020.

The said Office Memorandum further excludes eight institutions of excellence, research institutions, institutions of national & strategic importance as specified in the aforesaid Act.

Further, it is brought to the notice, Bar Council of India admittedly is not covered within this memorandum. Admittedly, Bar Council of India is also an institution of excellence for professionalism in legal field and also institution of national importance and though not in the said schedule, hence, the committee feels, it would not be proper to grant this reservation. The reasons is all government institution dealing with law including Government Universities all over the country are having very poor infrastructure and even minimum faculties which are required under the statutory rules are not being appointed on regular basis. Resulting into, poor standard of legal education. Granting this additional quote, over and above, the quote for the SC and ST and OBC could entail additional expenditure, additional faculties. In view of their additional seats, it would not be proper to accept the reservation for the law course.

This is for your information.

(N. Senthil Kumar)
Asstt. Secretary
Head of the Deptt.

Yours Sincerely,

Srimanto Sen

(Srimanto Sen)
Secretary